



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052024-254425
CG-DL-E-29052024-254425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946

No.378]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 28 मई, 2024

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th May, 2024

एफ.संख्या.बीओए/2-सी/2024 .—दिनांक 02 मई 2024 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, धारा 4 में प्रकाशित 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024' शीर्षक वाले विनियमों में, त्रुटियों में सुधार हेतु निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

F. No. BOA/2-C/2024.—In the Regulations namely "the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024" published in Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 2nd May, 2024, the following corrections are made to rectify the errors:

पृष्ठ क्रमांक एवं विनियम (रेगुलेशन) संख्या/ Page and regulation number	वर्तमान में मुद्रित संदर्भ / Existing content	के स्थान पर यह पढ़ा जाएगा। / Shall be read as
पृष्ठ क्रमांक 27 के विनियम (रेगुलेशन) 40 (7)	खण्ड "छ" के बाद	(ज) संस्थागत कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करेगा और तदनुसार निवारक या जीवनशैली में संशोधन का परामर्श देगा।
पृष्ठ क्रमांक 33 के विनियम (रेगुलेशन) 45 (1) (iii) (ग)	अनुसूची-XIX और XX	अनुसूची-XIX और XXII
पृष्ठ क्रमांक 35 के विनियम (रेगुलेशन) 47 (1) (क)	उप-खण्ड (xvi) एवं (xvii) पृथक वर्णित है।	उप-खण्ड (xvi)
	तदनुसार (xviii) (xix) (xx) को क्रमानुसार (xvii) (xviii) (xix) पढ़ा जाएगा।	
पृष्ठ क्रमांक 41, तालिका - 10	कॉलम नंबर क्रमशः (1), (2), (3) के नीचे सीरियल नंबर 1 देकर अतिरिक्त पंक्ति (रो) प्रविष्ट (इन्सर्ट) करें और कॉलम नंबर 2 पर "आधिकारिक ई-मेल आईडी" इस लाइन को लिखें और कॉलम (3), में क्रमशः एक महीना का उल्लेख करें या लिखें। तदनुसार, क्रम संख्या "1 से 31" को क्रमशः "2 से 32" के रूप में पढ़ा जाएगा	
पृष्ठ क्रमांक 53 विनियम (रेगुलेशन) 66 (3)	खण्ड "ग" के बाद	(घ) "पहले व्यावसायिक विभागों के लिए निर्दिष्ट पुतलों (मैनेकिन) और सिमुलेटर्स के साथ योग्या कौशल प्रयोगशाला" प्रविष्ट करें
		तदनुसार (घ) को (ङ) पढ़ा जाएगा।
पृष्ठ क्रमांक 56, विनियम (रेगुलेशन) 70	(1) तालिका-17 में दिए गए अनुसार लागू जमानत राशि।	(2) तालिका-18 में दिए गए अनुसार लागू जमानत राशि।
	तदनुसार, उप-विनियमन (2), (3) और (4) को क्रमशः (3), (4), और (5) के रूप में पढ़ा जाएगा।	
पृष्ठ क्रमांक 57, विनियम (रेगुलेशन) 71 (4)	इंटरन और आयुर्वेद डिग्री धारकों के लिए जुर्माना भारतीय चिकित्सा पदधति (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 के राष्ट्रीय आयोग के विनियमन 27 के उप-विनियमन में निर्दिष्ट किया जाएगा।	इंटरन और आयुर्वेद डिग्री धारकों के लिए जुर्माना भारतीय चिकित्सा पदधति (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 के राष्ट्रीय आयोग के विनियमन 27 के उप-विनियमन (ध) में निर्दिष्ट किया जाएगा।
पृष्ठ क्रमांक 59 अनुसूची -III		
क्रम संख्या 2 कॉलम (2)	रचना शारीर	रचना शारीर सहित डिसेक्शन हॉल और अन्य संबद्ध इकाइयाँ
क्रम संख्या 2 कॉलम (3)	130	150
क्रम संख्या 3 कॉलम (2)	क्रिया शारीर	क्रिया शारीर सहित क्रिया लेबोरेटरी और अन्य संबद्ध इकाइयाँ
क्रम संख्या 3 कॉलम (3), (4), (5), (6)	75, 150, 200, 250	125, 225, 325, 425
क्रम संख्या 4 कॉलम (2)	द्रव्यगुण	द्रव्यगुण सहित लेबोरेटरी और अन्य संबद्ध इकाइयाँ
क्रम संख्या 8 कॉलम (2)	रोगनिदान और विकृतिविज्ञान	रोगनिदान और विकृतिविज्ञान सहित रोगनिदान और अन्य संबद्ध इकाइयाँ

क्रम संख्या 8 कॉलम (3), (4), (5), (6)	75, 150, 200, 250	150, 250, 350, 450
क्रम संख्या 9 कॉलम (2)	अगदतंत्र	अगद तंत्र सहित पॉइज़न डिटेक्शन लेबोरेटरी और अन्य संबद्ध इकाइयाँ
क्रम संख्या 9 कॉलम (3), (4), (5), (6)	50, 100, 150, 200	125, 225, 325, 425
क्रम संख्या 10 कॉलम (2)	स्वस्थवृत्त और योग	स्वस्थवृत्त और योग सहित न्यूट्रिशन लेबोरेटरी और अन्य संबद्ध इकाइयाँ
क्रम संख्या 10 कॉलम (3), (4), (5), (6)	75, 150, 200, 250	125, 225, 325, 425
क्रम संख्या 31 कॉलम (4), (5), (6)	200, 275, 350	250, 350, 450
पृष्ठ क्रमांक 60, अनुसूची - IV		
शीर्ष पंक्ति कॉलम (6)	“प्रोफेसर”,	“एसोसिएट प्रोफेसर”
क्रम संख्या 1 कॉलम (4)	3	3 (2+1)
पृष्ठ क्रमांक 67, अनुसूची -VIII	कॉलम नंबर क्रमशः (1), (2), (3) (4), (5), (6) के नीचे सीरियल नंबर 1 देकर अतिरिक्त पंक्ति (रो) प्रविष्ट (इन्सर्ट) करें और कॉलम नंबर 2 पर "इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर सिस्टम" इस लाइन को लिखें और कॉलम (3), (4), (5), (6) में क्रमशः 1,1,1,1 लिखें।	
	तदनुसार, क्रम संख्या "1 से 22" को क्रमशः "2 से 23" के रूप में पढ़ा जाएगा।	
पृष्ठ क्रमांक 82 अनुसूची-XVIII क्रम संख्या 4 नॉन - मर्क्यूरियल स्फिगमोमेनोमीटर	-	2
पृष्ठ क्रमांक 83 अनुसूची - XVIII क्रम संख्या 7	टॉर्च एवं पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप का दो बार उल्लेख किया गया है।	टॉर्च -2 और पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप -2
पृष्ठ क्रमांक 84, अनुसूची - XIX		
क्रम संख्या 13 कॉलम (5), (6)	1, 1	2, 2
क्रम संख्या 14 कॉलम (5), (6)	1, 1	2, 2
क्रम संख्या 15 कॉलम (5), (6)	1, 1	2, 2
क्रम संख्या 18 कॉलम (3), (4), (5), (6)	1, 1, 1, 1	2, 2, 3, 5
क्रम संख्या 20 कॉलम (5), (6)	1, 1	2, 2
क्रम संख्या 22 कॉलम (5), (6)	1, 1	2, 2
पृष्ठ क्रमांक 87, अनुसूची - XX		
क्रम संख्या 28 कॉलम (5), (6)	1, 1	2, 2
क्रम संख्या 34 कॉलम (2)	“रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी (प्रत्येक दो शिफ्टों के लिए एक)	“रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी (तीस बेड के लिए एक)
क्रम संख्या 37 कॉलम (2)	रेजिडेंट शल्य चिकित्सा अधिकारी (प्रत्येक दो शिफ्टों के लिए एक)	रेजिडेंट शल्य चिकित्सा अधिकारी (तीस बेड के लिए एक)

पृष्ठ क्रमांक 91, अनुसूची – XXII क्रम संख्या 7 कॉलम (3), (4), (5), (6)	20, 40(20X2), 60(20X3), 80(20X4)	25, 25, 25, 25	
अनुसूची- XXVI			
क्रम संख्या 4 कॉलम (2)	ड्रम स्टैंड	विभिन्न आकार के ड्रेसिंग ड्रम	
क्रम संख्या 40 कॉलम (3)	1	आवश्यकता के अनुसार	
क्रम संख्या 44 कॉलम (3)	1	आवश्यकता के अनुसार	
क्रम संख्या 45 कॉलम (3)	1	आवश्यकता के अनुसार	
क्रम संख्या 53 कॉलम (3)	1	आवश्यकता के अनुसार	
क्रम संख्या 59 कॉलम (2)	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सीलिंग फिटेड)	शैडोलेस लैम्प (सीलिंग फिटेड)	
पृष्ठ क्रमांक 96, अनुसूची – XXVI क्रम संख्या 75 के बाद	--	निम्नलिखित पंक्तियां प्रविष्ट करें	
		76. टॉन्सिलेक्टोमी सेट	आवश्यकता के अनुसार
		77. चालाजियन एक्सिशन सेट	आवश्यकता के अनुसार
		78. एपिलेशन संदेश स्वरयंत्र पोस्टनासल दर्पण	आवश्यकता के अनुसार
		79. स्वरयंत्र पोस्टनासल दर्पण	आवश्यकता के अनुसार
		80. ईएनटी और आँख के लिए के लिए आगुंतक शल्य हटाने के उपकरण	आवश्यकता के अनुसार
पृष्ठ क्रमांक 97, अनुसूची - XXVIII			
क्रम संख्या 16 कॉलम (3)	1	2	
क्रम संख्या 17 कॉलम (3)	-	1	
क्रम संख्या 18 कॉलम (3)	1	आवश्यकता के अनुसार	
पृष्ठ क्रमांक 98, अनुसूची – XXIX शीर्षक	नवजात गहन देखभाल इकाई की न्यूनतम आवश्यकताएं	नवजात गहन देखभाल इकाई की न्यूनतम आवश्यकताएं (प्रसूति कक्ष के निकट)	
पृष्ठ क्रमांक 107, फॉर्म नंबर 29 बी, संलग्नकों की सूची में बिंदु संख्या 8	ज के बाद	(ट) कॉलेज एवं चिकित्सालय भवन पूर्णता प्रमाण पत्र ।	
	तदनुसार (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण), को क्रमानुसार (ठ), (ड), (ढ), (ण), (त) पढ़ा जाएगा।		
Page 111, in 1 st para in line 6	the word "Admis1sion"	Admission	
Page 115, regulation 11(5)	The data pertaining to previous month shall be uploaded every month on or before tenth of the preceding month	The data pertaining to previous month shall be uploaded on or before tenth of every month."	
Page 122, in regulation 19 (16) (a)	The word "kriyakalpa"	"Streeroga, Prasuti related"	
Page 122, in regulation 19 (16) (b)	The word "Shalakyia Tantra"	"Prasuti and Streeroga"	

Page 140, in regulation 47(j) (ii)	yoga demonstrator shall be the in-charge and the head of the department of Swasthavritta	yoga demonstrator shall be the in-charge of yoga section and functions under the administrative control of head of the department of Swasthavritta															
Page 144, in regulation 53, Table-10, in heading column (3)	Time Line for Fulfilling Minimum Standard Requirements	Time Line for Fulfilling Minimum Essential Standards															
Page 156, in regulation 70, Table-17, in last row	Application fee (rupees two lacks)	Application fee (rupees two lakhs)															
Page 176, in Schedule-XV, in serial number 45	The word Otoscopy	Otoscope															
Page 179, in Schedule-XVII, in serial number 7	Torch-1. Steyhoscope-2, peditric stethoscope -2 , Torch -2	Torch-2 Peditric stethoscope -2 ,															
Page 188, in Schedule-XXVI, after serial number 75	--	Insert the following rows <table border="1" data-bbox="943 741 1417 1184"> <tr> <td>76.</td> <td>Tonsillectomy set</td> <td>As required</td> </tr> <tr> <td>77.</td> <td>Chalazion excision set</td> <td>As required</td> </tr> <tr> <td>78.</td> <td>Epilation forcep</td> <td>As required</td> </tr> <tr> <td>79.</td> <td>Laryngeal and postnasal mirror</td> <td>As required</td> </tr> <tr> <td>80.</td> <td>Foreign body removal instruments for ENT and EYE</td> <td>As required</td> </tr> </table>	76.	Tonsillectomy set	As required	77.	Chalazion excision set	As required	78.	Epilation forcep	As required	79.	Laryngeal and postnasal mirror	As required	80.	Foreign body removal instruments for ENT and EYE	As required
76.	Tonsillectomy set	As required															
77.	Chalazion excision set	As required															
78.	Epilation forcep	As required															
79.	Laryngeal and postnasal mirror	As required															
80.	Foreign body removal instruments for ENT and EYE	As required															

बी. एल. मेहरा, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./147/2024-25]

B.L. MEHRA, Secy. In-charge

[ADVT.-III/4/Exty./147/2024-25]